रीबस्ट्री से. डी. (डी. एन.)-13

HEGISTERED No. D. (D.N.)-71



असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—सण्ड 3—उप-सण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (l)

प्राभिकार से प्रकाधित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 505] मई दिल्ली, गुकवार, अक्तूबर 31, 1986/कार्तिक 9, 1908 No. 505] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 1986/KARTIKA 9, 1908

> इस भाग में भिम्म पृष्ठ संख्यावी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन को रूप में रखाजा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

ग्रधिसूचना

न'ई शिल्लो, 31 अस्तूबर, 1986 🚬 🗠

सा.का.ति. 1173 (स). ---केन्द्रोय सरकार, महापसन न्यास ग्राधिनियम 1963 (1963 का 38) को धारा 132 को उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 को उपधारा (1) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए काण्डला पत्तन के स्थासी मंडल द्वारा बनाए गए काण्डला पत्तम न्यास कर्मचारी (आधास का ग्रावंटन) (संशोधित) विनियम, 1986 का ग्रनुमोदन करती है जैसा कि इस ग्राधिसूचना के साथ संलग्न ग्रनुसुक्षी में निविध्ट है।

2. उक्त विनियम इ.स. अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रयुक्त होंगें।

> [फा.सं.पी.ग्रार12016/7/86-पो० इ० ग्राई०] पी० एम० ग्रजाहम, ग्रथर सचिव

भ्रनुसूचो

कांडला पोर्टट्रस्ट

ग्रधिसूचना

महायत्तल न्यास अभिनियम, 1963 की घारा 28 के के अधोन निहित संकिश्यों के प्रनुसरण में कंडला पोर्ट न्यासी मंडल द्वारा निर्मित निण्नलिखित विनियमों को एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 124 के उपबंधों के अनुसार प्रकाशित किया जाता है:---

 ये विनियम कंडला पोर्ट कर्मचारी (ग्रावास का ग्राबंटन) (संशोधन) विनियस, 1986 कहे जाएंगे।

2 कंडला पोर्ट कर्मचारी (ग्रावास का ग्रावंटन) विनियम, 1964 के विनियम 9 के विद्यमान उप विनियम (I) (III) को विलोपित किया जाएगा।

पब टिप्पणोः---

नुख्य विनियम जी० एस० ग्रार० संख्या 300 बिनांक 29-2-1964 के ग्राजीन प्रकाशित किए गए थे। 2

[PART II—SEC. 3(i)]

कंडला पोर्ट कर्मधारी (ग्राधास का ग्रावंटन) विनियम, 1964 के विनियम 9 (I) (III), में संशोधन हेतु सरकार का अनुसोवन विनांक 21-10-1975 के पक्ष संख्या पी.ई. के. (52)/75 के प्रधीन प्राप्त हुग्रा था जिले विनांक 27-11-1975 RESID के राजपन्न में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 1986

G.S.R. 1173(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124 read with sub-section (1) of section 132, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees (Allotment of Residence) (Amendment) Regulations 1986 made by the Board of Trustees of the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[Filo No. PR-12016]7[86-PE. I] P. M. ABRAHAM, Addl. Secy.

'SCHEDULE'

"KANDLA PORT TRUST"

KANDLA PORT EMPLOYEES (ALLOTMENT OF RESIDENCE (AMENDMENT) REGULATIONS, 1986

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred upon them by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (3β of 1963) the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby amend the Kandla Port Employees (Allotment of Residence) Regulations, 1964 further to make the following Regulations, namely,—

- 1. These Regulations may be called the Kandla Port Employees (Allotment of Residence) (Amendment) Regulations, 1986.
- 2. Existing sub-regulation (1) (iii) of Regulation 9 of the Kandla Port Employees (Allotment of Residence) Regulations, 1964 shall be deleted.

Foot note :

The principal regulations were published under G.S.R. No. 300 dated 29-2-1964.

Government's approval for amendment to Regulations 9(i) (iii) of the Kandla Port Employees (Allotment of Residence) Regulations, 1964 was received under letter No. PEK(52) 75 dated 21-10-1975 which was published in the official Gazette of 27-11-1975.